

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अदालत

उपरवट नदिगाँव

मुकाम

बूखंड

किस्म मुकदमा

पुनर्प्राप्ति

बनाम

नारायण कर्तार
M. रंजीत

नम्बर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियस जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13/6/17	<p>पुनर्प्राप्ति आण 14-6-2017 को जहाँ जज साह जी के आदेश के तहत पुनर्प्राप्ति किया, पुनर्प्राप्ति में निम्नलिखित आदेशों के द्वारा जज साह जी के आदेश के तहत किया जाकर फिलहाल से पुनर्प्राप्ति आदेश के तहत जारी है।</p> <p style="text-align: right;">SDB</p>	

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)

(आदेश 20 के नियम 6. ओर 7)

मूल वाद में डिग्री

सहायक अधिकारी:- श्री दीपक मेहता (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

अनवान

धुला पिता पूजा नि0 खेमारू

बनाम

नारायण , केशर, रजी, एवं हांजु पिता होमा एवं लाली पति होमा 1/3



वाद बाबत- धारा 88 सहखातेदार घोषित करने।

मुकदमा नं0 55/17

निर्णय दिनांक-14.6.2017

वादी की ओर से श्री धुला पिता पूजा मीणा नि0 खेमारू तहसील एवं जिला डूंगरपुर व प्रतिवादी नारायण , केशर, रजी, एवं हांजु पिता होमा एवं लाली पति होमा तहसील एवं जिला डूंगरपुर की ओर से इस वाद में आज दि0 14.6.2017 को दीपक मेहता (आरएएस) उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिग्री दी जाती है कि :-

नौजा खेमारू के खाता संख्या नया 188 पुराना 185 जमाबंदी संवत् 2070-73 में सहखातेदार के रूप में धुला पिता पूजा जाति मीणा नि0 खेमारू को श्री नारायण , केशर, रजी, एवं हांजु पिता होमा एवं लाली पति होमा हिस्सा 1/3 हिस्से में सहखातेदार के रूप में दर्ज किये जानी की डिग्री दी जाती है।

वादी/प्रतिवादी खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे

डिग्री आज दिनांक 14.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से लगाकर दी

रही।

(दीपक मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर